पंजीकृत / फैक्स

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक–कम–मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय।
3. सभी संयुक्त निदेशक, औ0सुरक्षाएवंस्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
4. सभी उप निदेशक, औ0 स्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, हरियाणा।
6. सभी उप निदेशक, औ0सुरक्षाएवंस्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
7. सभी सहायक निदेशक, औ0सुरक्षाएवंस्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, श्रम विभाग, हरियाणा।
9. सभी श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांकः स्था0 / 04 / 2017 / 30163-290
दिनांकः 23/X/2017

Subject:- **Implementations of Haryana Right to service Act & Rules, 2014.**

,,,,,,,,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.06.2016 व 10.01.2017 के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि आयुक्त, हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ से वि0अर्ध–सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.06.2017 व 10.08.2017 का हवाला देते हुए सूचित किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत नामित अधिकारी को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के रिकार्ड को निर्धारित प्रोफार्मा (फार्म न0–ए) अनुसार मैनटेन किया जाना है, परंतु उन द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारी और अपीलिय अधिकारियों द्वारा अनिवार्य

प्रावधानों का पालन नही करते है, हालांकि वर्ष 2014 में इस अधिनियम को पारित किया गया था।

अतः आपको वि0अर्ध–सरकारी पत्र जोकि आयुक्त, हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ से प्राप्त हुआ है कि छायाप्रति मूल रुप में आपको भेजकर अनुरोध किया जाता है कि आप द्वारा उक्त अधिनियम के तहत विभाग की जिन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है के संबंध में निर्धारित फार्म अनुसार रिकार्ड मैनटेन कर रहे है या नही बारे अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2017 प्रातः 11.00 बजे तक ई–मेल (establishment456@gmail.com)/फैक्स के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें ताकि प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को सूचित किया जा सकें।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

C:\Users\hp\Dropbox\New Data\Ganda Sahib\letter h.doc

Hardeep Kumar
IAS(Retd)
Commissioner

D.O. No. 1527

Haryana Right To Service Commission
Chandigarh

14457
27/9/17

Dated 20.9.17

Subject: Implementations of Haryana Right to Service Act & Rules, 2014.

Dear Shri Mahavir,

I would like to draw your attention to this Commission's office letters dated 06.06.2017 and 10.08.2017 on the subject noted above wherein it was requested that all the Designated Officers and the First and Second Grievance Redressal Authorities will display on the notice board all the information relating to the services notified, time frame and designation of Designated Authority and Appellate Authority as required under Sub Para-3 of Section 4 of the HRTS Rules, 2014. Similarly each Designated Authority will maintain a register as per Form "A" relating to the services applied for by the citizens as prescribed under Rule 4(1) of the above said rules. However, during field visits undertaken by the Commission, it has been noticed that still many Designated Officers as well as the Appellate Authorities have not complied with the mandatory provisions even though the Act was passed in the year 2014.

Urgent please
25/9/17

In view of the unsatisfactory position regarding the implementation of the above said Act and Rules, it has been decided by the Commission that each Administrative Secretary shall confirm in writing to the Commission that all the Designated Officers and the First and Second Grievance Redressal Authorities under their departments have complied with the provisions of the Rule 4 of HRTS Rules, 2014.The above referred certificate/undertaking may reach the Commission by 16th October, 2017.

LC
Dr ESI

LC
26.9.2017

With regards,

Yours sincerely,

(Hardeep Kumar)

Dr. Mahavir Singh, IAS
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department,
New Secretariat, Sector-17, Chandigarh.

O/o PS Labour
No. 14457
Dt. 26/9/17

AC(A)
27-9-17

DSE
28/9/17
E-II

SCO 38-39 (2nd & 3rd Floor) Sector 17-A, Chandigarh-160017
Tel : 0172-2707050 • E-mail : hardeepkumar@hot mail.com